भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1441

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**गरीबों के लिए राजसहायता कूपन**

1441. श्री मोहम्मद अली खान:

 क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने गरीबों, विशेष रूप से बीपीएल और जनजातीय परिवारों के लिए प्रत्यक्ष राजसहायता कूपन संबंधी एक प्रणाली आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में अब तक इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्यों, जनता और विशेषज्ञों की क्या राय है;

(घ) साथ ही ऐसे कूपनों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) बीपीएल परिवारों को ऐसे कूपन दिए जाने के लिए कौन-कौन से मानदण्ड अपनाए गए हैं?

उत्तर

 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क),(ख),(ग),(घ) और (ङ):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्‍द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्‍त जिम्‍मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्‍द्र सरकार खाद्यान्‍नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्‍मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्‍नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्‍हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्‍नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्‍मक जिम्‍मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

 गरीबों के लिए सीधे राजसहायता कूपन लागू करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्‍य में राशन कार्डों के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल का वितरण किया जा रहा है। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाभार्थियों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिंसों की सुपुर्दगी करने के लिए स्‍मार्ट कार्ड, फूड कूपन, बारकोडेड राशन कार्ड आदि जारी करने की सूचना दी है जिनसे खाद्यान्‍नों के लीकेज/विपथन को रोकने में सहायता मिलेगी। बारकोडिंग और लाभार्थियों की जैविक पहचान से यह सुनिश्‍चित होता है कि फूड कूपनों का दुरुपयोग नहीं होता है और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विधिवत सत्‍यापन करने के बाद फूड कूपन दिए जाते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*